सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारी श्री सुदर्शन सिंह तोमर (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या एफ.एस.एस.एक्ट 18/2018

बउनवान

राजस्थान सरकार जर्ये :– श्री हारून खां तत्का. खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय संयुक्त निदेशक चिकि0 एवं स्वा0 सेवाये जोन कोटा। हाल मुकाम–मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अलवर (राज.)

(प्रार्थी)

बनाम

1– श्री कालूलाल पुत्र श्री भैरूलाल, 321 K दंडोतिया की बाड़ी, अमरपुरा, बारां। **(विक्रेता एवं मालिक)** मैसर्स श्रीराम मावा सप्लायर्स, दीनदयाल पार्क एवं प्लाजा, बारां।

2– श्री राजेश कुमार अग्रवाल पुत्र स्व0 श्री राम किशन अग्रवाल उम्र 33 वर्ष, स्टेशन रोड, बीकानेर **(भागीदार फर्म)** मैसर्स लालजी फूड प्रोउक्टस, 147–148, इण्डस्ट्रीयल एरिया, रानी बाजार बीकानेर– 334001

3– श्रीमती सुनिता देवी अग्रवाल पत्नी श्री बृजमोहन अग्रवाल उम्र 50 वर्ष, स्टेशन रोड बीकानेर। **(भागीदार फर्म)** मैसर्स लालजी फूड प्रोउक्टस, 147–148, इण्डस्ट्रीयल एरिया, रानी बाजार बीकानेर– 334001

4– मैसर्स लालजी फूड प्रोउक्टस, 147–148, इण्डस्ट्रीयल एरिया, रानी बाजार बीकानेर– 334001 **(निर्माता फर्म)**

(अप्रार्थीगण)

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2 (।।) एफएसएस एक्ट 2006 एवं विनियम 2011

उपस्थिति :– 1– श्री राजेश रामचन्दानी खा.सु.अ. (प्रार्थी स्वंय)
2– स्वयं उपस्थित अप्राथी क्रम 1 (अप्रार्थी)

निर्णय दिनांक 28.06.2019

प्रकरण श्री हारून खां तत्का. खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय संयुक्त निदेशक चिकि0 एवं स्वा0 सेवाये जोन कोटा द्वारा इस आशय का पेश किया कि आवेदक तत्का. खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 15.10.2017 को मैसर्स श्रीराम मावा सप्लायर्स, दीनदयाल पार्क एवं प्लाजा, बारां पर पहुंचा। वहॉ पर श्री श्री कालूलाल पुत्र श्री भैरूलाल, 321 K दंडोतिया की बाड़ी, अमरपुरा, बारां **(विक्रेता व मालिक)** की हैसियत से उपस्थित थे, कि उपस्थिति में निरीक्षण किया।

मैं हारून खां दिनांक 15.10.2017 को कार्यालय संयुक्त निदेशक चिकि0 एवं स्वा0 सेवाये जोन कोटा मे खाद्य सुरक्षा अधिकारी का कार्य सम्पादित कर रहा था और मुझे राज्य सरकार द्वारा राजपत्र मे प्रकाशित अधिसूचना दिनांक 26.07.2011 के गजट भाग 2 (क) के क्र0 38 पर अंकित है जिसके अनुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर नियुक्त किया गया है। श्रीमान् आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक (जन स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राज. जयपुर के आदेश एफएसएसए/एफएसओ /2014/787 दिनांक 26.09.2014 के अनुसार मुझे कार्य क्षेत्र कार्यालय संयुक्त निदेशक चिकि0 एवं स्वा0 सेवाये जोन कोटा आवंटित किया गया था और अधिसूचना राजस्थान के राज पत्र जनवरी 09, 2012 भाग (क) और के अनुसार कोटा जोन के अन्तर्गत आने वाले समस्त स्थानीय क्षेत्र मेरे कार्य क्षेत्र मे आते है।

यह कि आवेदक द्वारा निरीक्षण किया जहां खाद्य पदार्थ **रसगुल्ला (लालजी ब्राण्ड) 1 कि.ग्रा. वजनी मूल टीन पैक के करीब 10 पैकेट्स का** विक्रय आम जनता को कर रहा था। मैने अपना परिचय पत्र दिखाकर परिचय दिया एवं विक्रेता से परिचय लिया। विक्रेता से मौके पर खाद्य पदार्थ **रसगुल्ला (लालजी ब्राण्ड)** मे मिलावटी का शक होने पर विक्रेता को अवगत कराया गया तत्पश्चात नमूना वास्ते जांच हेतु लेने की सूचना फार्म नं0 5ए की प्रति स्वतंत्र गवाह की उपस्थिति मे तैयार कर विक्रेता को देकर प्राप्ति रसीद ली।

आवेदक द्वारा खाद्य पदार्थ **रसगुल्ला (लालजी ब्राण्ड)** विक्रेता से 1 **कि.ग्रा.** मूल टीन पैक के 04 मूल पैकेट वास्ते नमूना जांच हेतु खरीदे, जिसकी कीमत श्री कालूलाल पुत्र श्री भैरूलाल **(विक्रेता)** को 720/–रू. नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता व गवाहन के हस्ताक्षर है तथा तस्दीक कर स्वंय आवेदक ने हस्ताक्षर किये।

आवेदक ने खरीदशुदा **रसगुल्ला (लालजी ब्राण्ड)** 1 **कि.ग्रा.** वजनी मूल टीन पैक के 04 मूल पैक पर ही लेबल तैयार कर प्रत्येक नमूने पर चिपकाये और लेबलों पर डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक एएच–697 दर्ज किया, प्रत्येक लेबल पर स्वंय ने हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर कराये। चारों नमूना भागों को अलग–2 खाकी कागज मे लपेट कर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. कोटा की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप नं. एएच–697 नियमानुसार चारों नमूना भागो पर नीचे से उपर तक फेविकोल से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता व मालिक के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आवें एवं सीलबन्द नमूनो पर गवाह के हस्ताक्षर करवाकर नमूने का पूर्ण विवरण लिखकर मेरे द्वारा हस्ताक्षर कर चारों नमूना लेकर चारो नमूना भागो को अपने जाप्ते मे लिया।

आवेदक ने मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढकर सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे श्री कालूलाल पुत्र श्री भैरूलाल **(मालिक)** ने भी पढकर समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये।

आवेदक ने कार्यालय पहुंच कर फार्म नं. 6 की छः प्रतियॉ नियमानुसार तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर मे सीलबन्द कर सील मोहर कर एवं फार्म नं. 6 की दो प्रतियां अलग से एक लिफाफे में सील चपडी कर नमूने की सील भाग एवं सील्ड लिफाफा श्रीमान खाद्य विशलेषक, कोटा को जमा करवाकर फार्म की पुष्ट पर रसीद प्राप्त की गई। जो आवेदन के साथ संलग्न है। दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म नं0 06 की दो प्रतियो के आउटर कवर में सील बन्द कर तथा नमूने का चौथा भाग मय फार्म नं0 06 की प्रति के डीओ एवं उपनिदेशक कार्यालय, कोटा को जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं उपनिदेशक कार्यालय संयुक्त निदेशक चिकि0 एवं स्वा0 सेवाये जोन कोटा के पत्र क्रमांक/एफएसएसए/46(4)/2017/270 दिनांक 14.12.2017 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला कोटा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 878/FSSA/Kota/Act/2017/932 दिनांक 22.11.2017 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जांच विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ **रसगुल्ला (लालजी ब्राण्ड) जांच में मिथ्याछाप (Mis Branded)** होना पाया गया। रिपोर्ट आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक द्वारा अनुसंधान हेतु मैसर्स श्रीराम मावा सप्लायर्स, दीनदयाल पार्क एवं प्लाजा, बारां पंत्राक 279 दिनांक 15.01.2018 द्वारा फर्म का खाद्य अनुज्ञा/रजि0 पत्र, माल खरीद बिल एवं अन्य दस्तावेजों की सूचना रजि0 पत्र द्वारा चाही गई। फर्म द्वारा खाद्य अनुज्ञा पत्र की छायाप्रति एवं स्वयं के आधार कार्ड की स्वप्रमाणित छायाप्रति एवं बिल संख्या 2568 दिनांक 12.09.2017 प्रस्तुत किये। जो आवेदन के साथ संलग्न है।

इस पर प्रकरण दर्ज दिनांक 22.06.2018 को रजिस्टर किया जाकर, अप्रार्थीगण को जर्ये रजिस्टर्ड सम्मन तलब किया गया। जिसकी रसीद पत्रावली में संलग्न है। अप्रार्थी क्रम 1 स्वयं उपस्थित रहा है। अप्रार्थीगण 2 ता 4 बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहे। अप्रार्थी क्रम 1 स्वयं उपस्थित होकर प्रकरण मे जवाब प्रस्तुत नही कर अंतिम बहस सुने जाने हेतु निवेदन करने पर प्रकरण मे उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

दौराने बहस प्रार्थी (खाद्य सुरक्षा अधिकारी) ने परिवाद में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा कथन किया कि अप्रार्थी द्वारा जिस खाद्य पदार्थ **रसगुल्ला (लालजी ब्राण्ड)** का विक्रय किया जा रहा है, वह जॉच मे **मिथ्याछाप (Mis Branded)** होना पाया गया है। अप्रार्थी का उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं विनियम 2011 के तहत अपराध की श्रेणी मे आता है। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 में निर्धारित है।

अप्रार्थी क्रम 1 द्वारा दौराने बहस कहा गया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा खाद्य पदार्थ **रसगुल्ला (लालजी ब्राण्ड)** वास्ते नमूना जॉच हेतु अप्रार्थी की दुकान से क्रय किया गया था। उक्त **रसगुल्ला (लालजी ब्राण्ड)** अप्रार्थी द्वारा निर्मित नही किया जाता था बल्कि एजेन्सी से क्रय किया जाता था। उक्त **रसगुल्ला (लालजी ब्राण्ड)** में मेरे द्वारा किसी भी प्रकार की केमिकल इत्यादि की मिलावट नही की गई है। एजेन्सी से प्राप्त माल ही विक्रय किया गया है। अप्रार्थी गरीब व्यक्ति है। अप्रार्थी की दुकान भी ज्यादा नही चलती है। अतः अप्रार्थी के विरूद्व प्रस्तुत कार्यवाही निरस्त फरमाने की कृपा करे।

इसके विपरीत खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा कहा गया अप्रार्थी को खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला, कोटा की जांच रिपोर्ट क्रमांक 878/FSSA/Kota/Act/2017/932 दिनांक 22.11.2017 के बाद खाद्य पदार्थ **रसगुल्ला (लालजी ब्राण्ड) 1 कि.ग्रा. टीन पैक** की पुनः जांच करवाये जाने हेतु, जर्ये पत्र सूचित किया जाकर, एक माह का समय दिया गया था। किन्तु उसके द्वारा पुनः जांच नही करवायी गई है। है। अतः अप्रार्थी को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने प्रकरण मे प्रार्थी (खाद्य सुरक्षा अधिकारी) एवं अप्रार्थी स्वयं की उभयपक्ष की बहस सुनी और उस पर मनन किया व पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया, अप्रार्थी के पास से वास्ते नमूना जांच क्रय किया गया, खाद्य पदार्थ खाद्य पदार्थ **रसगुल्ला (लालजी ब्राण्ड) 1 कि.ग्रा. टीन पैक** जॉच मे **मिथ्याछाप (Mis Branded)** होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं विनियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2 (।।) के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी मे आता है। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं विनियम 2011 की धारा 52 के तहत, अप्रार्थी क्रम 1 ता 4 प्रत्येक को 25,000/– 25,000/– रूपये का जुर्माना, पत्रावली में कुल जुर्माना राशि 1,00,000/– अक्षरे एक लाख रूपये मात्र के आर्थिक जुर्माने के दण्ड से दण्डित किया जाता है। अप्रार्थीगण उक्त जर्माना राशि जर्ये चालान बैंक मे **निर्धारित मद 0210 चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, 04 लोक स्वास्थ्य, 800 अन्य प्राप्तियां, 03 खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञा पत्र शुल्क आदि** में जमा करवाकर, चालान की प्रति इस न्यायालय मे प्रस्तुत करे। अप्रार्थी क्रम 2 ता 4 अनुपस्थित रहने से, उनको निर्णय की सत्य प्रतिलिपी रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से पालनार्थ भिजवाई जावे।

निर्णय आज दिनांक 28.06.2019 को हमारे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुदर्शन सिंह तोमर)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति0 जिला मजिस्ट्रेट, बारां (राज.)